समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग)

–:आदेश:–

राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक–896, दिनांक–18.06.2020 के द्वारा **140वीं हेलेन केलर जयन्ती (27 जून, 2020) के अवसर पर** राज्य निवासी दिव्यांगजनों एवं उससे जुड़े व्यक्तियों व संस्थाओं व सरकारी अधिकारीगण व अन्य के साथ **विविध ऑनलाईन मीडिया साधन यथा–विडियों कॉन्फ्रेंसिंग, यूट्यूब, फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप्प आदि के माध्यमों से वर्चुअल ई–जन जागरूकता–सह–ई–संबाद कार्यक्रम का आयोजन कर दिव्यांगजनों को** उनके अधिकारों के संरक्षण, उनके कल्याणार्थ संचालित योजनाओं, अपने समस्याओं/शिकायतों को ऑनलाईन लोक अदालत के माध्यम से समाधान एवं आगामी बिहार विधान सभा चुनाव, 2020 में मतदान का अधिकार के संबंध में जागरूक किये जाने का निदेश प्राप्त हुआ है।

उक्त क्रम में दिनांक 27.06.2020 को **140वीं हेलेन केलर जयन्ती के अवसर पर** दिव्यांगजनों के साथ ई–संवाद के माध्यम से हेलेन केलर जयन्ती के थीम **"शत–प्रतिशत दिव्यांगजन करें अपने मताधिकार का प्रयोग (सरल, सुगम, समावेशी एवं बाधा रहित मतदान) एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में प्रदत्त अधिकार (सुरक्षा, संरक्षण, पूर्ण भागीदारी, हिस्सेदारी एवं प्रोडक्टिव सीटीजन) मिले बिहार के हर दिव्यांगजनों के द्वार–द्वार"** के आलोक में:–

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी निम्न संसाधनों यथा–पंचायत स्तर पर गठित दिव्यांगजन समूह, कार्यपालक–सहायक, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, विकास मित्र, ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से प्रखंड स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक जागरूक करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला प्रबंधक, सक्षम बिहार (बुनियाद केन्द्र), मधेपुरा/उदाकिशनगंज अपने स्तर से सभी तकनीकी कर्मी को अपने आवंटित प्रखंड में दिव्यांगजनों को ई–संवाद द्वारा हेलेन केलर जयन्ती के थीम के आलोक में जागरूक कराने हेतु आवयश्क कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

सिविल सर्जन, मधेपुरा एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, मधेपुरा अपने स्तर से विभिन्न संसाधनों के माध्यम से दिव्यांगजनों को जागरूकता सुनिश्चित करायेंगे।

जिला जन संपर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से 140वीं हेलेन केलर जयन्ती के अवसर पर दिनांक 27.06.2020 को आयोजित उक्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी स्वंयसेवी संस्था/रेड क्रॉस सोसायटी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से दिव्यांगजनों को जागरूकता सुनिश्चित करायेंगे।

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से आगामी विधानसभा 2020 के चुनाव में दिव्यांगजनों द्वारा शत्–प्रतिशत मतदान हेतु जागरूक करेंगे, साथ ही इसे सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रबंधो की जानकारी देंगे।

Scanned with CamScanner

अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशनगंज को निदेशित किया जात है कि वे अपने स्तर से दिव्यांगजनों को जागरूकता सुनिश्चित कराएंगे।

सभी संबंधित पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

अनुलग्नकः— विभागीय पत्र।

ह0/—
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक......308..../सा0सु0को0, दिनांक.......25/जून/2020

प्रतिलिपिः— जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र उदाकिशुनगंज/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा—जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सिविल सर्जन, मधेपुरा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला जन संपर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/सभी स्वंयसेवी संस्था/रेड क्रॉस सोसायटी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

Scanned with CamScanner